दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 15-09-2025

आयोजन • बस्तर संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए हुआ एक दिवसीय सेमिनार

हर केस के पीछे संघर्ष, उम्मीद और न्यायपालिका में भरोसे की कहानी छिपी होती है: चीफ जस्टिस सिन्हा

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हर केस के पीछे संघर्ष, उम्मीद और न्यायपालिका में विश्वास की एक मानवीय कहानी होती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि न्याय समय पर, पारदर्शी और तर्कपूर्ण तरीके से दिया जाए। यह बातें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से शनिवार को बस्तर संभागीय न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कलेक्टरेट भवन के प्रेरणा

हॉल में हुए इस कार्यक्रम में जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिलों के कुल 43 न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीजे ने कहा कि आज न्यायपालिका से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। यह सेमिनार केवल सीखने का मंच नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। सीजे सिन्हा ने जोर देते हुए कहा कि न्यायिक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। बदलते समय और नए कानूनी परिदृश्य में न्यायिक अधिकारियों को लगातार अपने ज्ञान को अपडेट करना होगा ताकि वे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी दक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कर सकें। इस अवसर पर कांकेर के पोर्टफोलियो जज जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद भी मौजूद रहे।

कहा - न्याय वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचे

सीजे ने बस्तर क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया करते हुए कहा कि यहां की सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां न्यायपालिका के सामने चुनौतियां भी रखती हैं और अवसर भी देती हैं। हमारा दायित्व है कि न्याय वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। न्याय केवल किया न जाए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई दे।

इन विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए

- परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामलों की कार्यवाही और इनके निपटारे के नए उपाय।
- मध्यस्थता में रेफरल जज की भूमिका।
- गिरफ्तारी, निरुद्धि और संपत्ति कुर्की जैसे प्रवर्तन संबंधी उपाय।
- रिमांड और जमानत के प्रावधानों का गहन विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के संदर्भ में।